# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या 2384/2011/झुन्झुनू**

मैसर्स शिव शंकर स्टोन क्रैशर,
मोडा पहाड़, झुन्झुनू। ........अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–झुन्झुनू। ..........प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री राजीव चौधरी, सदस्य**
**श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक। .........अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक। .........प्रत्यर्थी की ओर से

**दिनांक : 09/02/2018**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 67/आरवैट/झुन्झुनू/10–11 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत झुन्झुनू (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 08.03.2010 के जरिये कर रूपये 83,570/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में Stone Crusher से प्राप्त residual stone dust की बिक्री की गयी है जिस पर अपीलार्थी ने इस बिक्री को बजरी की बिक्री घोषित करते हुए वैट 6/– प्रति टन से वजन पर कर चुकाया है। अपीलार्थी ग्रिट, स्टोन डस्ट, स्टोन ब्लास्ट का निर्माता है। सशक्त अधिकारी ने इस बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से करदेयता निर्धारित करते हुए अन्तर कर रूपये 83,570/– आरोपित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ग्रिट, स्टोन डस्ट, स्टोन ब्लास्ट का निर्माता है उसके द्वारा पत्थर की क्रसिंग कर उससे ब्लास्ट, ग्रिट व स्टोन डस्ट का निर्माण किया जाता है। यह स्टोन डस्ट प्राकृतिक बजरी के विकल्प के रूप में काम में ली जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 की अवधि में

निरन्तर.................2

कर संग्रहण का ठेका सम्बन्धित ठेकेदार को दिया गया था जिसके अन्तर्गत ठेकेदार को कर संग्रहर्ण करने हेतु बजरी/स्टोन डस्ट पर कर की दर निर्धारण करके दिया गया था। विभाग द्वारा 6/– रूपये प्रति टन कर दर निर्धारित की थी। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि स्टोन डस्ट भी बजरी ही है जिसका उपयोग बजरी के रूप में ही होता है, जो मकान निर्माण हेतु चिनाई, लिपाई आदि के कामों में प्रयोग की जाती है, निर्माण प्रक्रिया भिन्न होने से वस्तु पर कर की दर नहीं बदली जा सकती है अथवा उसको अन्य वस्तु नहीं माना जा सकता है। अतः इस पर 6/– रूपये प्रति टन के हिसाब से ही देय बनता है लेकिन सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण में स्टोन डस्ट पर वैट @12.5 प्रतिशत से निर्धारित किया है, जो कि अविधिक है।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा स्वयं अपीलार्थी के प्रकरण में अपील संख्या 2062/2011 निर्णय दिनांक 08.03.2013 को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 2062/2011/झुन्झुनू मैसर्स शिव स्टोन क्रशर उद्योग, झुन्झुनू बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड प्रथम, झुन्झुनू निर्णय दिनांक 08.03.2013, से पूर्णतया आच्छादित है, अतः उक्त निर्णय के आलोक में अपीलार्थी द्वारा विक्रीत स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण विधिसम्मत पाये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।
7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य